प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.09.2025

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1300 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

दिनांक 13-09-25 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा रामलीला ग्राउन्ड के पास से चैकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है , जिसके कब्जे से 1300 ग्राम अवैध गांजा बरामद है, अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभियुक्त अक्षय उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं यह गांजा दिल्ली बोर्डर के पास से एक व्यक्ति से लेकर आता हूँ उसका नाम पता मुझे मालूम नही है और ना ही वह अपना नाम बताता है। मै यह गांजा पुडिया बनाकर मुनाफा कमाने के लिए राह चलते लोगो को बेच देता हूँ, जिससे मैं अपना शौक पूरा करता हूँ ।

अभियुक्त का नाम व पता-

अक्षय पुत्र राजू निवासी रघुनाथ फार्म के सामने वाली गली मे लाला जी के मकान मे किराये पर चालीस फुटा रोड नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त अक्षय के विरूद्ध थाना कविनगर पर 01 अभियोग आर्म एक्ट व थाना सिहानी गेट 02 अभियोग लूट व 01 चोरी की सम्पत्ती बरामद व थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग अपहरण, कुल 05 अभियोग पंजीकृत है ।

बरामदगी का विवरण-

1300 ग्राम गांजा बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।

थाना टीलामोड पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

कार्यवाही का विवरणः-

आज दिनांक 13.09.2025 को थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त अमन अधाना पुत्र राम कुमार निवासी अनामिका पब्लिक स्कूल के बराबर में गगन विहार थाना टीलामोड़ गाजियाबाद वर्तमान पता फ्लैट न० डी-2 हर्ष बिल्डर इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को कोयल एंकलेव मुख्य गेट अन्दर से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अमन अधाना पुत्र राम कुमार उपरोक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अमन अधाना पुत्र राम कुमार उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने जनता इंटर कालेज खतौली से इंटर तक की पढाई की और वर्ष 2020 में इंटर किया था। बरामद तमंचे व कारतूस के बारे में पूछने पर बताया कि मैं मूल रूप से ग्राम हाजीपुर थाना जानसठ जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। जब हम गांव में रहते थे तो गाव में चोरों का खतरा रहता था। उसी समय मेरे बाबा जी रामसिंह इस तमंचा व कारतूस को चोरों से बचाव व सुरक्षा के लिये लाये थे। मेरे बाबा जी रामसिंह की एक वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है तभी से यह तमंचा व कारतूस घर में ही रखा था। मेरी कुछ दिन पहले मेरे मौहल्ले में ही रहने वाले मनीष पुत्र रामचन्द्र से कहा सुनी हो गयी थी। मुझे मनीष से खतरा था कि कही वह मेरे साथ मारपीट ना कर दे, इसी डर से मैने अपनी सुरक्षा के लिये इस तमंचे व कारतूस को अपने पास रख लिया था।

गिरफ्तार अभियक्त का नाम व पताः-

अमन अधाना पुत्र राम कुमार निवासी अनामिका पब्लिक स्कूल के बराबर में गगन विहार थाना टीलामोड़ गाजियाबाद वर्तमान पता फ्लैट न० डी-2 हर्ष बिल्डर इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड पर मारपीट व आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा रात्रि में खड़ी गाडियों से बैटरी व टायर चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 बैटरी, कार का 01 टायर व घटना में प्रयुक्त 01 ऑटो बरामद।

दिनांक 15.06.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी शोभित त्यागी पुत्र सुनील कुमार त्यागी नि0 म0न0 1534/5 प्रथम तल सेक्टर 5 वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर के नीचे पार्किंग में खडी कार ग्रांड विटारा के टायर मय एलाय व्हील चोरी कर लिये गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 13.09.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर रात्रि में खडी गाडियों से बैटरी व टायर चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. दिपक पुत्र हीरा लाल निवासी म0न0 सी 8/19 सेक्टर 15 रोहिडी दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष व 2. हर्ष दुआ पुत्र महेन्द्र दुआ निवासी म0न0 सी 8/26 सेक्टर 15 रोहिडी दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष को रूप चौधरी कट के पास सेक्टर 14 वसुन्धरा से चोरी की 04 बैटरी, कार का 01 टायर व घटना में प्रयुक्त 01 ऑटो सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त उपरोक्त दिल्ली एनसीआर के आस पास के क्षेत्र में चार पहिया वाहनों के टायर व बैटरी चोरी कर राह चलते फिरते लोगो को कम दामों पर बेच देते है। इसीक्रम में करीब 03 माह पहले सेक्टर 05 वसुन्धरा से एक लाल रंग की ग्रांड विटारा से 02 टायर व 02 अलाय चोरी किये थे। जिसमें से 01 टायर व 01 अलाय बेच दिये था। बरादम बैटरी में से 01 बैटरी करीब 20 दिन पहने राजीव कॉलोनी मोहन नगर में होंडा कार से चोरी की थी। चोरी किये हुये बैटरी व टायर को आटो में रखकर बेचने जा रहे थे कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. दिपक पुत्र हीरा लाल निवासी म0न0 सी 8/19 सेक्टर 15 रोहिडी दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष।
2. हर्ष दुआ पुत्र महेन्द्र दुआ निवासी म0न0 सी 8/26 सेक्टर 15 रोहिडी दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 04 बैटरी, कार का 01 टायर व घटना में प्रयुक्त 01 ऑटो बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार दोनों अभियुक्त दिपक व हर्ष उपरोक्त के विरूद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी के सम्बन्ध में 02 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया सामान बरामद।

दिनांक 12.09.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री सचिन पुत्र जयपाल निवासी नंदनगरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि उसकी अवनी ज्वैलर्स की दुकान से एक व्यक्ति द्वारा धोखाधडी करके नकली चैन रखकर असली सोने की चैन व लॉकेट चोरी कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 318(4) /305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 13.09.25 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इन्पुटस के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त निर्मल पुत्र दीपराम निवासी ग्राम जहांगीरपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष को आज मानकी पुलिया से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि ये चैन व लॉकेट जो मुझसे बरामद हुये है ये मैने अवनी ज्वैलर्स नन्दनगरी गली न0 9 के पास मोदीनगर की एक दुकान से धोखे से चोरी किये है। मैने इस चैन के बदले नकली पीली धातु की चैन ज्वैलर्स की दुकान पर रख दी थी व असली चैन व लॉकेट चोरी कर ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

निर्मल पुत्र दीपराम निवासी ग्राम जहांगीरपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध मे 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

बरामदगी का विवरण-

- 01 चैन पीली धातु
- 01 लॉकेट पीली धातु

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना विजयनगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 99,860/- की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 13.09.2025 को साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक विशन सिंह पुत्र टेक सिंह निवासी एफ187 बी प्रताप विहार थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि **99,860/-** रू० वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर दिनांक 12/04/2025 को मु0अ0सं0 0193/2025 धारा 66डी आईटी एक्ट, 99,860/- रु0 की साइबर ठगी के संबंध में पंजीकृत किया गया था। जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 13.09.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया आवेदक द्वारा पाना विजयनगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना विजयनगर साइबर सेल

नवनियुक्त पुलिस आरक्षियों के लिए वित्तीय जागरूकता सत्र का आयोजन

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशानुसार गाज़ियाबाद पुलिस द्वारा अपने नवनियुक्त पुलिस आरक्षियों को वित्तीय प्रबंधन की जानकारी और आवश्यक जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम नेहरू नगर में वित्तीय जागरूकता सत्र का आयोजन किया

गया। यह कार्यक्रम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के सहयोग से आयोजित हुआ । कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस बल के नए सदस्यों को आर्थिक योजना, निवेश, जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी से बचाव के उपायों के बारे में शिक्षित करना था।

यह पहल पुलिस विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के समग्र कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कार्यक्रम में वित्तीय अनुशासन, भविष्य की योजनाएँ, आपातकालीन बचत, बीमा योजनाएँ और निवेश के अवसरों पर विशेष ध्यान दिया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त(मुख्यालय एवं अपराध) श्री केशव चौधरी महोदय द्वारा हुआ। इसके बाद महोदय ने संबोधित करते हुए कहा कि "एक पुलिसकर्मी की जिम्मेदारियाँ जितनी व्यापक होती हैं, उतना ही आवश्यक है कि वह अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को भी सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए। SEBI और BSE का धन्यवाद कि उन्होंने हमारे जवानों को सही वित्तीय सेवाएं और जानकारी से लैस किया।"

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था एवं यातायात) श्री आलोक प्रियदर्शी द्वारा संबोधित करते हुए कहा कि वित्तीय योजना न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि मानसिक तनाव को कम करने और जीवन में स्थिरता लाने के लिए भी अहम है।

बीएसई और सेबी द्वारा विशेषज्ञ मार्गदर्शन

बीएसई और सेबी के प्रतिनिधियों ने विशेषज्ञों के तौर पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। सेशन में निम्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई:-

- निवेश के विकल्प
- बीमा योजनाएँ
- कर नियोजन
- बचत की रणनीतियाँ
- सेवानिवृत्ति योजना
- धोखाधड़ी से बचाव
- म्यूचुअल फंड और विविध निवेश योजनाएँ

प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से प्रश्न पूछे और जिज्ञासाएँ साझा कीं। विशेषज्ञों ने व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि कैसे वित्तीय निर्णय विवेकपूर्वक लिए जाएँ और सामान्य त्रुटियों से बचा जाए।

कार्यक्रम के दौरान खुली चर्चा का आयोजन किया गया जिससे पुलिस आरक्षी अपने अनुभव साझा कर सके और वित्तीय मामलों में आने वाली कठिनाइयों पर मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। कई प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें आज मिली जानकारी से अपने व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय बेहतर ढंग से लेने में मदद मिलेगी।

इस सत्र के जरिए गाज़ियाबाद पुलिस विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि उनके जवान न केवल सेवा में दक्ष हों बल्कि निजी जीवन में भी वित्तीय रूप से सुरक्षित रहें। यह कार्यक्रम जिम्मेदार निवेश, बचत और वित्तीय अनुशासन की दिशा में एक मजबूत शुरुआत है, जो आने वाले वर्षों में पुलिस बल और उनके परिवारों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।

इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय एवं अपराध) श्री केशव चौधरी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था एवं यातायात) श्री आलोक प्रियदर्शी, पुलिस उपायुक्त रिजर्व पुलिस लाइन्स श्री निमिष पाटील तथा सभी राजपत्रित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

स्वाट टीम नगर जोन व थाना विजयनगर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में लूट/छीनैती/चोरी की घटना को कारित करने वाले 03 अभियुक्त को किया गिरफ्तारी व कब्जे से एक सिक्का व अंगूठी पीली धातु , एक सिक्का व चैन सफेद धातु घटना में प्रयुक्त स्कूटी व 19500/- रूपये एवं अवैध अस्लाह व कारतूस बरामद ।

आज दिनांक 13.09.2025 को थाना विजयनगर पुलिस एवं स्वाट टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि हिण्डन नदी पुस्ता की झाडियों में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों किसी घटना करने की फिराक में बैठे है। जिस पर थाना विजयनगर पुलिस एवं स्वाट टीम नगर द्वारा संयुक्त रूप से योजनाबद्ध तरीके से हिण्डन नदी पुस्ता झाडियों में छिपे बदमाश कोम्बिंग करते हुये आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया तो नही रूके तथा मौके पर अपनी स्कूटी छोड़ अपने सामान एवं बैग को लेकर भागने लगे। पुलिस द्वारा अपने आप को घिरता देखा तीनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से एक के बाद एक फायर करना शुरू कर दिया तथा मौके से भागने लगे। जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा भी सिखलाये गये तरीके से बदमाशो पर फायरिंग की गयी जिसमें तीनों बदमाश घायल हो गये। घायल बदमाश 1. राजा उर्फ मुकेश पुत्र चन्द्रवीर निवासी चांदोक थाना जहागीराबाद जिला बुलन्दशहर हाल पता ग्राम तिलपता गोलचक्कर के पास किराये के मकान प्रवीण भाटी थाना सूरजपुर ग्रेटर नोएडा उम्र 26 वर्ष 2. दीपक उर्फ लूट्टन पुत्र सोमवीर निवासी ग्राम करौला थाना पहासू जिला बुलन्दशहर उम्र 28 वर्ष 3. वंश पुत्र धर्मेन्द्र निवासी गिरधर पुरा विसरख गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम हाफिजनगर बनहई थाना बीसलपुर पीलीभित उम्र 21 वर्ष को मौके पर ही

लूट के माल एवं स्कूटी एवं अवैध अस्लाह के साथ गिरफ्तार किया गया। घायल तीनों बदमाशों को उपचार हेतु जिला एमएमजी गाजियाबाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब हमने अपना एक गैंग बना रखा है जिसमें हम तीनों मिलकर भोलेभाले व्यक्तियों के साथ तमंचे के बल पर लूटपाट करके उनका सामान छीन लेते है। तथा उन्हे सुनसान जगह पर छोड़ देते है जो सामान मिलता है उसे बेचकर रूपयों को आपस में बांट लेते है। तीन दिन पहले भी हमने IPEM कॉलेज के पास एक लड़के से लूटपाट की थी तथा पहले भी हमने कई लूट की वारदात की है। आज हम लूट के सामान को आपस में बांट रहे थे। कि पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

<u>नाम पता अभियुक्तः -</u>

1. राजा उर्फ मुकेश पुत्र चन्द्रवीर निवासी चांदोक थाना जहागीराबाद जिला बुलन्दशहर हाल पता ग्राम तिलपता गोलचक्कर के पास किराये के मकान प्रवीण भाटी थाना सूरजपुर ग्रेटर नोएडा व चिपियाना गली नं0 10 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 26 वर्ष।
2. दीपक उर्फ लूट्टन पुत्र सोमवीर निवासी ग्राम करौला थाना पहासू जिला बुलन्दशहर उम्र 28 वर्ष।
3. वंश पुत्र धर्मेन्द्र निवासी गिरधर पुरा बिसरख गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम हाफिजनगर बनहई थाना बीसलपुर पीलीभीत उम्र 21 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. घटना में प्रयुक्त एक अदद स्कूटी रजिस्ट्रेशन नम्बर UP14GN3302 चोरी की।,
2. 03 अदद तमंचा .315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 04 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
3. एक अदद फरसा , एक अदद स्टील की नुकीली रोड़
4. एक अदद सिक्का पीली धातु , एक अदद सिक्का सफेद धातु एक अंगूठी पीली धातु , एक अदद चैन सफेद धातु
5. 19500/- रुपये नगद बरामद
6. 03 अदद मोबाईल व 01 अदद ईयर ब्रड

<u>अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-</u>

अभियुक्त राजा उर्फ मुकेश उपरोक्त पर - 23 अभियोग लूट/चोरी/टप्पेबाजी से सम्बन्धित कमिश्नरेट गाजियाबाद व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पर **पंजीकृत है।**

अभियुक्त दीपक उर्फ लूट्टन उपरोक्त पर - 06 अभियोग लूट/चोरी से सम्बन्धित कमिश्नरेट गाजियाबाद व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पर **पंजीकृत है।**

अभियुक्त वंश उपरोक्त पर - 01 अभियोग चोरी से सम्बन्धित कमिश्नरेट गाजियाबाद पर **पंजीकृत है।**

<u>गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

स्वाट टीम नगर जोन व थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।